रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

सं. 253] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 4, 1989/वैशाख 14, 1911
No. 253] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 4, 1989/VAISAKHA 14, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 4 मई, 1989

का. आ. 329 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, जिसने स्विटजरलैंड की सरकार से आपराधिक मामलों या स्विटजरलैंड में किसी व्यक्ति के संबंध में समन की तामील के लिए ठहराव कर रखे हैं, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 105 की उपधारा (1) के खंड (ii) के अनुसरण में निदेश देती है कि—

(क) किसी अभियुक्त व्यक्ति के नाम समन, या

(ख) किसी व्यक्ति से यह अपेक्षा करने वाला ऐसा कोई समन कि वह कोई दस्तावेज या अन्य चीज पेश करे अथवा हाजिर हो और उसे पेश करे—

आपराधिक मामलों में अंतरराष्ट्रीय विधिक सहायता के लिए सक्षम स्विज मजिस्ट्रेट को भारत में किसी न्यायालय द्वारा पुलिस मामलों से संबंधित स्विज फैडरल कार्यालय, 3003, बर्न के माध्यम से उस न्यायालय को दो प्रतियों में यह निवेश देते हुए जारी किया जाएगा कि वह ऐसे समन की तामील उसमें नामित व्यक्ति पर करे।

2. केन्द्रीय सरकार यह भी निदेश देती है कि ऐसा समन संबद्ध न्यायालय को भेजे जाने के लिए विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को भेजा जाएगा।

[फा. सं. 2/7/88-न्यायिक प्रकोष्ठ]

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 4th May, 1989

S.O. 329(E).—Whereas arrangements have been made with the Government of Switzerland for service of summons, in relation to criminal matters, on any person in Switzerland, the Central Government, in pursuance of clause (ii) of sub-section (1) of section 105 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), hereby directs that—

(a) a summons to an accused person, or

(b) a summons to any person requiring him to attend and produce a document or other thing, or to produce it —

shall be issued by a court in India, in duplicate, to the competent Swiss Magistrate for International Legal Assistance in Criminal Matters through the Swiss Federal Office for Police Matters, 3003, Berne, directing that court to serve such summons on the person named therein.

2. The Central Government further directs that such summons shall be sent to the Ministry of External Affairs, Government of India, New Delhi for transmission to the court concerned.

[F. No. 2/7/88-Judl. Cell]

का. आ. 330 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 105 की उपधारा (2) के अनुसरण में आपराधिक मामलो में अंतरराष्ट्रीय विधिक सहायता के लिए सक्षम स्विज मजिस्ट्रेट को जो स्विटजरलैंड में अधिकारिता का प्रयोग कर रहा हो और जिसे उस देश में प्रवृत्त विधि के अधीन प्राधिकार प्राप्त हो, आपराधिक मामले के संबध में किसी अभियुक्त व्यक्ति के नाम कोई समन जारी करने, या किसी व्यक्ति से यह अपेक्षा करने वाला ऐसा कोई समन जारी करने के लिए, कि वह कोई दस्तावेज या अन्य चीज पेश करें अथवा हाजिर हो और उसे पेश करे, ऐसे न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जो आपराधिक मामलों के संबंध में भारत में निवास कर रहे व्यक्तियों को समन जारी कर सकेगा।

[फा. सं. 2/7/88–न्यायिक प्रकोष्ठ]

S.O. 330(E).—In pursuance of sub-section (2) of section 105 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby specifies the competent Swiss Magistrate for International Legal Assistance in Criminal Matters, exercising jurisdiction in Switzerland and having authority, under the law in force in that country, to issue a summons to an accused person, or summons to any person requiring him to attend and produce a document or other thing, or to produce it in relation to criminal matters, as the court by which such summons may be issued to persons residing in India in relation to Criminal matters.

[F. No. 2|7|88-Judl. Cell]

का. आ. 331 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, जिसने स्विटजरलैंड की सरकार से भारत के न्यायालयों में लंबित आपराधिक मामलों के संबंध में स्विटजरलैंड में निवास करने वाले साक्षियों का साक्ष्य लेने के लिए ठहराव कर रखे हैं, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 285 की उपधारा (3) के अनुसरण में निदेश देती है कि स्विटजरलैंड में साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन इससे उपाबद्ध प्ररूप में भारत के न्यायालयों द्वारा आपराधिक मामलों में अंतरराष्ट्रीय विधिक सहायता के लिए सक्षम स्विज मजिस्ट्रेट को पुलिस मामलों से संबंधित स्विज फ़ैडरल कार्यालय, 3003, बर्न, के माध्यम से जारी किया जाएगा।

2. केन्द्रीय सरकार यह भी निदेश देती है कि ऐसा कमीशन संबद्ध न्यायालय को भेजे जाने के लिए विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को भेजा जाएगा।

न्यायालय

भारत से बाहर साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन [दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 285 (3) (देखिए)]

सेवा में,

विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से

मुझे यह प्रतीत होता है कि मामला संख्या ..... बनाम ..... न्यायालय ..... में ..... का साक्ष्य आवश्यक है और ऐसा साक्ष आपकी अधिकारिता की स्थानीय सीमा के भीतर निवास कर रहा है और उसकी हाजिरी अनुचित विलंब, व्यय या असुविधा के बिना नही कराई जा सकती है, मैं ..... आपसे अनुरोध करता हूं कि आप उपरोक्त कारणों से और उक्त न्यायालय की सहायता के लिए उक्त साक्षी को ऐसे समय और स्थान पर, जो आप नियत करें, हाजिर होने के लिए समन करें और ऐसे साक्षी की परीक्षा उन परिप्रश्नों (मौखिक परीक्षा के लिए) के आधार पर करवाएं जो इस कमीशन के साथ भेजे जा रहे हैं।

कार्यवाही का कोई पक्षकार आपके समक्ष प्लीडर द्वारा, या यदि अभिरक्षा में नहीं है, तो स्वयं हाजिर हो सकेगा और (यथास्थिति) उक्त साक्षी की परीक्षा, प्रतिपरीक्षा या पुनः परीक्षा कर सकेगा।

और मैं आपसे यह भी अनुरोध करता हूं कि आप उक्त साक्षी के उत्तर लिखवाएं और सभी बहियों, पत्रों, कागजों और दस्तावेजों को, जो ऐसी परीक्षा के दौरान पेश किए जाएं, पहचान के लिए सम्यक रूप से चिन्हित कराएं और आपसे यह भी अनुरोध करता हूं कि आप ऐसी परीक्षा को अपनी सरकारी मुद्रा (यदि कोई हो) और अपने हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणित करें और उसे इस कमीशन के साथ अधोहस्ताक्षरी को विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के माध्यम से भेजें।

..... तारीख को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्राधीन प्रदत्त

न्यायाधीश

न्यायिक मजिस्ट्रेट

महानगर मजिस्ट्रेट

[फा. सं. 2/7/88-न्यायिक प्रकोष्ठ]

S.O. 331(E).—Whereas arrangements have been made by the Central Government with the Government of Switzerland for taking the evidence of witnesses residing in Switzerland in relation to criminal matters pending in Courts in India, the Central Government in pursuance of sub-section (3) of section 285 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), hereby directs that commission for examination of witnesses in Switzerland shall be issued by the Courts in India in the form annexed hereto, the competent Swiss Magistrate for International Legal Assistance in Criminal matter through the Swiss Federal Office for Police Matters, 3003, Berne.

2. The Central Government further directs that such Commission shall be sent to the Ministry of External Affairs, Government of India, New Delhi, for transmission to the Court concerned.

IN THE COURT OF

Commission to examine witness outside India [Section 285(3) of the Code of Criminal Procedure, 1973]

To

Through the Ministry of External Affairs, Government of India, New Delhi.

Whereas it appears to me that the evidence of..... .....is necessary for the ends of justice in case No.....Vs..... in the Court of.....and that such witness is residing within the local limits of your jurisdiction and his attendance cannot be procured without an amount of unreasonable delay, expense or inconvenience, I .....have the honour to request and do hereby request that for the reasons aforesaid and for the assistance of the said Court you will be pleased to summon the said witness to attend at such time and place as you shall appoint and that you will cause such witness to be examined upon the interrogatories which accompany this commission (for viva voce).

Any party to the proceeding may appear before you by pleader, or, if not in custody, in person, and may examine, cross-examine or re-examine (as the case may be) the said witness.

And I further have the honour to request that you will be pleased to cause the answers of the said witness to be reduced into writing and all books, letters, papers and documents produced upon such examination to be duly marked for identification and that you will be further pleased to authenticate such examination by your official seal (if any) and by your signature and to return the same together with this commission to the undersigned through the Ministry of External Affairs, Government of India, New Delhi.

Given under my hand and the seal of the Court this day of 19

Judge

Judicial Magistrate

Metropolitan Magistrate

[F. No. 2|7|88-Judl. Cell]

का. आ. 332 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 290 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अनुसरण में आपराधिक मामलों में अंतरराष्ट्रीय विधि सहायता के लिए सक्षम स्विस मजिस्ट्रेट को, जिसे स्विटजरलैंड में प्रवृत्त विधि के अधीन प्राधिकार प्राप्त हो, ऐसे मजिस्ट्रेट के रूप में विनिर्दिष्ट करती है, जो भारत में साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी कर सकेगा।

[फा. सं. 2/7/88—न्यायिक प्रकोष्ठ]

कैलाश चन्द्र कनकन, संयुक्त सचिव

S.O. 332(E).—In pursuance of clause (b) of subsection (2) of section 290 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby specifies the competent Swiss Magistrate for International Legal Assistance in Criminal Matters having authority under the law in force in Switzerland, as the Magistrate by whom commission for the examination of witnesses in India may be issued.

[F. No. 2|7|88-Judl. Cell]

K. C. KANKAN, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1989